–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 121/2023

उनवान

राजेन्द्र सिंह पुत्र गोगराज जाति गुर्जर निवासी म.न. 3455 काली माई सुत्तरखाना मौहल्ला, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. रामनारायण,
2. महेन्द्र सिंह,
3. सुरेन्द्र,
4. चन्द्रप्रकाश पुत्र गोगराज,
5. संजय,
6. बाबू पुत्र रामेश्वर,
7. रजत पुत्र किशोर समस्त जाति गुर्जर समस्त निवासीगण सुत्तरखाना मोहल्ला नसीराबाद,
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नसीराबाद,
9. उप पंजीयन अधिकारी पंजीयन नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :– 1 व 2 जरियें अधिवक्ता श्री फारूक खत्री,
8 व 9 जरियें राज. पैरोकार, शेष अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: आदेश :– दिनांक :– 17.7.25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 217/216 किता 24 रकबा 6.38 व 338/217 किता 2 रकबा 0.71 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की सह खातेदार/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा पुश्तेनी समय में संयुक्त परिवार से अर्जित आय से क्रय की थी। प्रार्थी के व अप्रार्थीगण के पूर्वज गोगराज की मृत्यु हो गयी है, जिनके वारिस प्रार्थी व अप्रार्थीगण ही है। उक्त आराजी पर हक व अधिकार के द्वारा खातेदारी प्रदान किये जावे। भूमि का आपस में विभाजन नही हुआ अप्रार्थीगण प्रार्थी की भूमि पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे है तथा भूमि पर दखलदांजी कर रहे है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी जवाब पेश नही किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 से 7 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज. पैरोकार ने इस प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:50 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

प्रथम दृष्टया मामला :–

प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 217/216 किता 24 रकबा 6.38 व 338/217 किता 2 रकबा 0.71 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 7 की सह खातेदार/सह काश्तकारी की है। उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा पुश्तेनी समय में संयुक्त परिवार से अर्जित आय से क्रय की थी। प्रार्थी के व अप्रार्थीगण के पूर्वज गोगराज की मृत्यु हो गयी है, जिनके वारिस प्रार्थी व अप्रार्थीगण ही है। उक्त आराजी पर हक व अधिकार के द्वारा खातेदारी प्रदान की जावे। किन्तु हाल राजस्व अभिलेख में ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 217/216 किता 24 रकबा 6.38 की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के व खाता संख्या 338/217 किता 2 रकबा 0.71 की आराजी प्रार्थी के नाम अलग–अलग खातों में दर्ज है। खाता संख्या 217/216 की आराजी पर प्रार्थी सह खातेदार नही हैं। प्रार्थी का यह भी कथन है कि उक्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पूर्वजों द्वारा पुश्तेनी समय में संयुक्त परिवार से अर्जित आय से क्रय की थी। किन्तु इस तर्क के समर्थन में प्रार्थी द्वरा कोई साबिक राजस्व अभिलेख/विक्रय पत्र पेश नही किया हैं। आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सह खातेदारी में नही होकर हाल राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खातेदारी दर्ज है। भूमि के पुश्तैनी होने का कथन मूल चाद में साक्ष्य आदि स ही तय होगा। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :–

विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा उभयपक्ष की सह खातेदारी में नही होकर हाल राजस्व अभिलेख में अलग–अलग खातेदारी दर्ज है। राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। अप्रार्थी खाता संख्या 338/217 की आराजी का बैचान नही कर सकते है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :–

न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में नही है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी विरूद्व प्रार्थी सिद्व होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– अतः ग्राम बारापत्थर के खाता संख्या 217/216 किता 24 रकबा 6.38 व 338/217 किता 2 रकबा 0.71 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:32:50 IST
Reason: SelfAttested